कार्यालय आयुक्त
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF
केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर जोधपुर
CENTRAL GOODS & SERVICE TAX JODHPUR
G-105, Gali No. 5, New Industrial Area, Basni, Jodhpur
(सतर्कता शाखा) (VIGILANCE BRANCH)
Email: vigjod@rediffmail.com, commcexjodh@rediffmail.com

NOTICE

Shri Dharmendra Singh, Inspector, Central Goods & Service Tax Commissionerate, Alwar, has to join in Central Goods & Service Tax Commissionerate, Jodhpur after relieving from Central Goods & Service Tax Commissionerate, Alwar, but he has not joined till date and remained absent from the office without prior permission/ sanction of leave by the competent authority. As he failed to join his duty so far, the Charge Memorandum for Major Penalty under Rule 14 of Central Civil Services (Classification, Control and Appeals) Rules, 1965 has been issued on 24.06.2021 under F. No. II-10(01) Vig./Jod./2021/352-357 alleging that he has failed to maintain devotion to duty and acted in a manner which is unbecoming of Government servant and thereby contravened the provisions of Rule 3 (1)(ii) and 3(1)(iii) of the Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964.

2. This office has taken maximum efforts to trace out the present address and whereabouts of Shri Dharmendra Singh, Inspector, to deliver a copy of Charge Memorandum dated 24.06.2021, however, the copy of Charge Memorandum pasted on his known address viz~a~viz Notice Board of the Central Goods & Service Tax Commissionerate, Jodhpur and copy of which also forwarded on his Govt. mail ID dharmendras.g100902@gov.in. But the same could not be served to him personally, due to non-availability of all known addresses available with this office. Therefore, Shri Dharmendra Singh, Inspector, is hereby informed and directed to refer the Charge Memorandum dated 24.06.2021, and submit a written statement of his defence within 15 (fifteen) days from the publication of this notice, failing which the case will be decided on the basis of available documents and as per existing provisions of law.

F. No. II-10(01)Vig./Jod./2021/427
Jodhpur, the 18th August, 2021

18/8/2021
Commissioner
CGST Jodhpur

कार्यालय आयुक्त
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF
केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर जोधपुर
CENTRAL GOODS & SERVICE TAX JODHPUR
G-105, Gali No. 5, New Industrial Area, Basni, Jodhpur
(सतर्कता शाखा) (VIGILANCE BRANCH)
Email: vigjod@rediffmail.com, commcexjodh@rediffmail.com

NATION TAX MARKET

सूचना

श्री धर्मेन्द्र सिंह, निरीक्षक, केंद्रीय वस्तु एवं सेवाकर आयुक्तालय, अलवर से दिनांक 07.10.2020 को कार्यमुक्त होकर दिनांक 20.10.2020 को केंद्रीय वस्तु एवं सेवाकर आयुक्तालय, जोधपुर में कार्यग्रहण करना था। परन्तु वे कार्यमुक्ति से आज दिनांक तक की अवधि के दौरान सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति /छुट्टी स्वीकृति के बिना अनुपस्थित रहे है। जैसा कि वे अब तक अपना कार्यभार ग्रहण करने में विफल रहे है, इसलिए केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमावली, 1965 के नियम 14 के तहत बड़ी (Major) शास्ति के लिए फा.सं II-10(01)सत./जोध./2021 के द्वारा आरोप ज्ञापन, दिनांक 24.06.2021 यह आरोप लगाते हुए जारी किया गया है कि वे अपने कार्य के प्रति निष्ठा बनाये रखने में असफल रहे है और उन्होंने इस तरीके से कार्य किया है जो कि सरकारी सेवक के लिए अशोभनीय है तथा इस प्रकार उन्होंने केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली, 1964 के नियम 3(1)(ii) तथा 3(1)(iii) के प्रावधानों का उल्लंघन किया है।

2. आरोप ज्ञापन की प्रति सुपुर्द कराने के लिए इस कार्यालय द्वारा श्री धर्मेन्द्र सिंह, निरीक्षक की सेवा पुस्तिका व वर्तमान पते तथा ठिकाने की जानकारी प्राप्त करने के हरसंभव प्रयास किए गए, फिर भी इस कार्यालय को उपलब्ध उसके सभी ज्ञात पतों पर उनकी अनुपलब्धता के कारण आरोप ज्ञापन की प्रति सेवा पुस्तिका व वर्तमान ज्ञात निवास स्थान पर पंचनामा की कार्यवाही करते हुए चस्पा कर तामील कराया गया तथा उनकी सरकारी ई मेल आईडी dharmendras.g100902@gov.in पर भी प्रेषित किया गया । उसे व्यक्तिगत रूप से तामील नहीं करवाई जा सकी। इसलिए, श्री धर्मेन्द्र सिंह, निरीक्षक को एतद् द्वारा निर्देश दिए जाते है कि आरोप ज्ञापन दिनांक 24.06.2021 जो कि सीजीएसटी आयुक्तालय, जोधपुर के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया गया तथा उनकी सरकारी मेल आईडी dharmendras.g100902@gov.in पर प्रेषित किया गया है, के प्रतिवाद में अपना लिखित बयान अखबार में इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर इस कार्यालय में प्रस्तुत करें । इसमें असफल रहने पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर तथा विधि के लागू प्रावधानों के अनुसार मामले का निर्णय किया जाएगा।

18/8/2021
आयुक्त
केंद्रीय वस्तु एवं सेवाकर जोधपुर

फा.सं. II-10(01)Vig./Jod./2021/427
जोधपुर: 18.08.2021